To

The Divisional Forest Officer, Rohru Forest Division.

Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.

Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarh held on 05.09.2024.

Sir,

This is with reference to the subject cited above. In this context the compliance report to the conditions of Stage-I Approval is as under:-

(A)वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमी सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्र्याकता है:-

Sr. No.	Conditions	Compliance
1.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूरक पोधारोपण की राशि जमा करवाई जाये	प्रतिपूरक पोधारोपण की राशि दिनांक 22.11.2024 को चलान के माध्यम से CAMPA खाते में जमा करवा दी गयी है और जिसकी पुष्टि MoEF&CC के Portal पर की जा चकी हैं।
2.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा WP (C) No.202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।	शर्त मंज़ूर है
3	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 0.252 हेक्टेयर की नैट प्रजैंट	प्रस्ताबित वन भूमि, 0.252 हेक्टेयर की नैट प्रजैंट वैल्यु (NPV) दिनांक 22.11.2024 को चलान के माध्यम से CAMPA खाते में जमा करवा दी गयी है और जिसकी पृष्टि MoEF&CC के Portal पर की जा चुकी हैं।

 प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी। पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी। पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी। प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेव पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयक्तु बैंक में जमा किए जाते हैं अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया पत्र के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया सल्यान करके PARIVESH Portal 			
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी। 5. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी। 6. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयक्तु बैंक में जमा किए जाते हैं और केवल उपयक्तु बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा किए जा चुके हैं। 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया		वैल्यु जमा करवाई जाये ।	
www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी। 5. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी। 6. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा किए जा चुके हैं। 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए असी भी लंवित नहीं हैं। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंवित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया	4.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन	सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं
माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी । पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी । तिर्माण एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयक्त बैंक में जमा किए जाते हैं अन्य माध्यम से जमा किए जा चुके हैं । 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए असी भी लंबित नहीं है । इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्मत प्रमाण पत्र के द्वारा किया किया कलेक्टर द्वारा निर्मत प्रमाण पत्र के द्वारा किया किया कलेक्टर द्वारा निर्मत प्रमाण पत्र के द्वारा किया किया करके PARIVESH Portal		एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट	जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट
माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी। 5. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी। 6. प्रयोक्ता एजेंमी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेव पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा किए जा चुके हैं। 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जलक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया करके PARIVESH Portal		www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन	www.parivesh.nic.in पर ऑनलाइन
 5. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी। 6. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेव पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है । इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया 		माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी ।	
(https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी। 6. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं हैं। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया संलगन करके PARIVESH Portal			चुकी हैं
(https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी। 6. प्रयोक्ता एजेंसी को यह मुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर 21.11.2024 को पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह मुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए येसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाथ संलगन करके PARIVESH Portal	5.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal
जाएगी। 6. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीबी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया		(https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की	
प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर अँनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है । इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया संलगन करके PARIVESH Portal		जाएगी ।	
पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयक्तु बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है । इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया	6.	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि	प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीबी,
पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयक्तु बैंक में जमा किए जाते हैं और केवल उपयक्तु बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है । इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया		प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब	आदि) वेब पोर्टल पर 21.11.2024 को
किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शतों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal		पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से	
को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है । इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal		जमा किए जाते हैं और केवल उपयक्तु बैंक में जमा	जमा किए जा चुके हैं
स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है । इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal		किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि	
 प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है । इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा । FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal 		को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में	
कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है । इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा । 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal		स्वीकार नहीं किया जाएगा ।	
स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है । इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा । 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal	7.		वचनबधता संलगन हैं
शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है । इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal		कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही	
। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal		स्वीकृत किया जा चुका है S-I के अनुमोदन की	
पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal		शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नही है	
ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला FRA प्रमाण पत्र अनुपालना रिपोर्ट के कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal		। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के	
जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला FRA प्रमाण पत्र अनुपालना रिपोर्ट के कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal		पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए	
मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा । 8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला FRA प्रमाण पत्र अनुपालना रिपोर्ट के कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal		ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं " प्रस्तुत किया	
8. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला FRA प्रमाण पत्र अनुपालना रिपोर्ट के कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal		जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम	*
कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal			
कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया साथ संलगन करके PARIVESH Portal	8.	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला	FRA प्रमाण पत्र अनुपालना रिपोर्ट के
जाएगा । पर अपलोड कर दिया गया है		कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया	
		जाएगा ।	पर अपलोड कर दिया गया है

Execute Council Representation of the Council Representation of th

(B)वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमी सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्र्याकता है परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

Sr. Conditions Compliance No. 1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। 2. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों / पौधों की संख्या किसी भी शर्त मंज़ुर है | रूप में प्रस्ताव में दर्शाई गयी संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दैरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा | राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 100 3 शर्त मंज़ुर है | Tall Plant के पौधारोपण का कार्य UPF-Dhanwari in Chirgaon, Block Sindasli Beat Khashdhar Range, Tehsil Chirgaon Distt. Shimla. Himachal Pradesh पर सीए किया जायेगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जायेगा | अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जायेगा | यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित CA Land. यदि राज्य वन विभाग के नाम है, 4. शर्त मंज़ूर है। तो उससे सम्बंधित दस्तावेज, अन्यथा IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर तत्संबंधित दस्तावेज़, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जायेगा | राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से 5. शर्त मंज़ुर है | पहले FSI के ई-ग्रीन वाच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृति degraded वन क्षेत्र की kml file को अपलोड करेगी। वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उदेश्य के अलावा इस कार्यालय द्वारा वन भूमि का किसी अन्य उदेश्य के लिए नहीं किया जायेगा। प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिए नहीं किया जायेगा | माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी 7. शर्त मंज़ूर है | NPV की राशी बड़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशी को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी

	3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	I
	और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशी जमा कराना सुनिश्चित करेंगे	
8.	State Govt. shall ensure to comply with the mitigation measures as per the Solid Waste Management Rules, 2016 and submit the detail	This condition will be adhered to as per the SWM Rule 2016.
	report on the same before stage-II approval.	Naic 2010.
9.	State Govt. shall ensure to maintain the development of Green Belt around and within the project site, the detail plantation scheme duly authenticated by DFO concerned is required to be submitted before Stage-II approval.	Agreed
10.	स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमित के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित बही किया जायेगा।	शर्त मंज़ूर है
11.	केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	शर्त मंज़ूर है
12.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा	इस कार्यालय द्वारा वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा
13.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशी उपलब्ध कराई जाएगी	शर्त मंज़ूर है
14.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जायेगा	इस कार्यालय द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के
		लिए बन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जायेगा

Dy. Conservator of Forests Rohru Forest Division, Rohru Executive Officer (C)

- Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.
- Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarah held on 05.09.2024.

1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति
	नहीं जाएगी	बदली नहीं जाएगी

Dy. Conservator of Forests Rohry Forest Division, Rohry Executive Officer (C)
Municipal Council Rohru
Distt. Shimla (H.P)

Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.

Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarah held on 05.09.2024.

2.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों / पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शाई	शर्त मंज़र है
	गर्यो संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दैरान वन्यजीवों को	6 (1
	किसी तरह का नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा	

Rohru Forest Division,

decutive Officer (C)

Municipal Council Rohru

Distt. Shipila (H.P)

Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.

Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarah held on 05.09.2024.

1			
	3	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 100 Tall Plant के	शर्त मंज़ूर है
		पौधारोपण का कार्य UPF-Dhanwari in Chirgaon, Block Sindasli	
		Beat Khashdhar Range, Tehsil Chirgaon Distt. Shimla,	
		Himachal Pradesh पर सीए किया जायेगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी	
		द्वारा प्रदान किया जायेगा अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर	
I		वृक्षारोपण किया जायेगा यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से	
		रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जायेगा	
١			

MC, Rohru

- Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.
- Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarah held on 05.09.2024.

1	4.	प्रस्तावित CA Land. यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे सम्बंधित	शर्त मंज़ूर है
		दस्तावेज़, अन्यथा IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर	
		तत्संबंधित दस्तावेज़, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जायेगा	

- Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.
- Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarah held on 05.09.2024.
 - 5. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन शर्त मंज़्र है | वाच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृति degraded वन क्षेत्र की kml file को अपलोड करेगी |

Executive officer (C)

SMC, Rohru

- Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.
- Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarah held on 05.09.2024.
 - वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए इस कार्यालय द्वारा वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में लिए नहीं किया जायेगा |

उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के दर्शाए गए उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

MC, Rohru

Rohru Forest Division, Rohru

- Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.
- Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarah held on 05.09.2024.
 - 7. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशी बड़ाई शर्त मंज़्र है | जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशी को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशी जमा कराना सुनिश्चित करेंगे |

Executive Officer (C

MC, Rohru

New Hotel Cours

- Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.
- Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarah held on 05.09.2024.
 - State Govt. shall ensure to comply with the mitigation measures as per the Solid Waste Management Rules, 2016 and submit the detail report on the same before stage-II approval.

This condition will be adhered to as per the SWM Rule 2016.

Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.

Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarah held on 05.09.2024.

 State Govt. shall ensure to maintain the development of Green Belt around and within the project site, the detail plantation scheme duly authenticated by DFO concerned is required to be submitted before Stage-II approval.

Agreed

MC, Rohru

- Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.
- Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarah held on 05.09.2024.

:	10.	स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमित के	शर्त मंज़ूर है
		बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को	
L		हस्तांतरित बही किया जायेगा	

MC, Rohru

- Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.
- Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarah held on 05.09.2024.

,			
-1	4.4	20	
-1	11.	केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला	शित मजर है।
- 1		1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	2121 115/16
-1			
- 1		नहाजायमा ।	
1		नहीं जायेगा	

- Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.
- Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarah held on 05.09.2024.

12.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई	इस कार्यालय द्वारा वन भूमि पर किसी भी प्रकार
	श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा	का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा

Diett Shimle (H.)

Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.

Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarah held on 05.09.2024.

	13.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे,	शर्त मंज़र है।
		जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशी उपलब्ध कराई	6 (1
L		जाएगी	

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,

Rohru

MC, Rohru

- Sub:- Diversion of 0.252 ha of forest land in favour of Municipal Council Rohru Distt. Shimla, H.P., for the construction of Solid Waste Management Plant at Rohru, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.
- Ref:- (i) State Government proposal no. FP/HP/Others/37353/2018 reply dated 25.07.2024. (ii) MOM of 70th REC of RO-Chandigarah held on 05.09.2024.

14.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए
	निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन
	क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया पथ
	नहीं बनाया जायेगा

Rohru

इस कार्यालय द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए बन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जायेगा।

MC, Rohru

NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

DIVERSION OF 0.2520 HA OF FOREST LAND FOR THE CONSTRUCTION OF SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT AT MC ROHRU, DISTT. SHIMLA, WITHIN THE JURISDICTION OF ROHRU FOREST DIVISION, DISTT. SHIMLA, H.P.

1.	Area being diverted (in hect.)	0.2520					
2.	Rate Per hectare applicable For Forest having density less than 10% (Open Forest)	1069470.00					
3.	NPV Chargeable Area (in hect.)	0.2520					
4.	Chargeable Area × NPV rate per Ha (0. 0.2520 × 1069470)	269,506.44					
5.	Total Amount of NPV	2,69,506					

(N. Ravisankar Sarma)IFS
Divisional Forest Officer
Rohru, Forest Division Rohru.
Office seal.. Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Name of Project:-

at MC Rohru Distt. Shimla HP. Diversion of 0.2520 Ha. of forest land for the consturction of Solid Waste Management Plant

Years maintenance. Cost Model for 0.20 ha. Block Plantation with 100 tall plants (Deodar and Oak, 4 strand B/Wire fencing with RCC fence post with 10

	•					10th Year maintenance 2000	9th Year Maintenance 2000	er grande de la company de la	7th Year maintenance 2000			4rth Year maintenance 2900	THE THE PERSON AND TH	2nd Year maintenace 4800		(B) Planting 133400	Demarcation and Fencing	6	Particulars of works Rates for 1 ha	MATERIAL DIRECTOR AND AND THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF TH
						400	400	400	400	400	580	580	960	960	1900	26680	6920	0.20 ha	ha Rates for	
						2031-2032	2030-2031	2029-2030	2028-2029	2027-2028	2026-2027	2025-2026	2024-2025	2023-2024	2022-2023	2021-2022	2021-2022	of works	Year of excution	
O Carro	G. Total	Departmental Charges 17.5%	Contigency + Total	Contigency 5%	Total	110%	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	10%		Cost escalation	
		harges 17.5%	tal	AND THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY A	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	440	400	360	320	280	348	290	384	288	380	2668	692	escalation	Amount of cost	
E9E17/	58516.7625	8715.2625	49801.5	2371.5	47430	840	800	760	720	680	928	870	1344	1248	2280	29348	7612		Total Amount	

Note: The Cost of Plants have been included in (B) Planting.

Rölltu Forest Division Bohru